

# सिद्धदोष बंदियों की समयपूर्व रिहाई हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका(किम0) संख्या 336/19, रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित दिशा निर्देशों के प्रकाश में उत्तर प्रदेश के समस्त कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों की समयपूर्व रिहाई हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्मित की जा रही है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका(किम0) संख्या 336/19, रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 06.09.2022 में निर्देशित किया गया है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में सिद्धदोष व आजीवन कारावास से दण्डित बंदी जो कि समय पूर्व रिहाई हेतु पात्र है, वह भी अभी तक कारागार में निरूद्ध है तथा उनके मध्य न तो सम्यक जागरूकता है और न ही उन्हें यह तथ्य ज्ञात है वि वह समय पूर्व रिहाई हेतु पात्र व्यक्ति है।
- इस संबंध में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि यदि कुछ बंदियों को समय पूर्व रिहाई की नीति का लाभ प्रदान करके उन्हें एक निश्चित अवधि के कारावास को व्यतीत करने के पश्चात नियमानुसार रिहा कर दिया जाता है तो इसका कारागार प्रशासन पर अत्यन्त सकारात्मक असर पडता है तथा कारागार में अनुशासन भी स्थापित होता है क्योंकि बन्य बंदी , जो समय पूर्व रिहाई की श्रेणी में हैं अथवा पात्रता की श्रेणी में आने की कगार पर है वह कारागार में अत्यन्त अनुशासित जीवन व्यतीत करते है ताकि उनकी बारी आने पर उन्हें भी समय पूर्व रिहाई का लाभ प्राप्त हो सके।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर भी बल दिया गया है कि समय पूर्व रिहाई के प्रावधानों के सम्बन्ध में बंदियों के मध्य जागरूकता नहीं है और बंदियों को उक्त प्रावधानों तथा अपनी पात्रता के विषय मे ज्ञान नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में क्रमबद्ध तरीके से अभियान चलाकर समस्त कारागारों में समय पूर्व रिहाई के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
- समय पूर्व रिहाई के संबंध में जागरूकता हेतु कारागारों में पोस्टर्स लगवाये जायें तथा वॉल पेंटिंग्स करवायी जायें।
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कारागार परिसरों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किये जायें जिनमें समय पूर्व रिहाई के प्रावधानों से बंदियों को अवगत कराया जाये।

- समस्त उत्तर प्रदेश में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जेल प्राधिकरणों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि समय पूर्व रिहाई हेतु पात्र कोई भी बंदी अवशेष न बचे।
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने जिले के कारागारों से समस्त आजीवन कारावास की सजा से दण्डित बंदियों की अवस्थिति के संबंध में आख्या आहूत करेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि यह बंदी किसी भी नीति के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो उनकी समय पूर्व रिहाई सुनिश्चित हो सके। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह कार्य 2 सप्ताह के अन्दर पूर्ण कर लेंगे।
- यह भी सुनिश्चित किया जाये कि समस्त लम्बित प्रार्थना पत्रों को एक माह के अन्दर निस्तारित कर लिया जाये।
- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऐसे समस्त आजीवन कारावास से दण्डित बंदी, जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है अथवा गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उनकी समय पूर्व रिहाई हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को 02 माह के अन्दर निस्तारित कर दिया जाये।
- समय पूर्व रिहाई के अन्य समस्त प्रकरणों को 02 माह के अन्दर निस्तारित करना है।
- अधिकांश आजीवन कारावास से दण्डित बंदी, केन्द्रीय कारागारों में निरुद्ध होते हैं, अतः केन्द्रीय कारागारों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाये तथा उनका सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जाये।
- केन्द्रीय कारागारों में विभिन्न जनपदों के आजीवन कारावास से दण्डित बंदी निरुद्ध होते हैं, अतः ऐसे बंदियों के समय पूर्व रिहाई के प्रार्थना पत्र बंदी के जिले के प्रशासन के पास संस्तुति हेतु प्रेषित होते हैं, अतः सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बंदी के जनपद के जिला प्राधिकरण एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला प्रशासन से सामन्जस्य स्थापित करके यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे बंदियों के प्रार्थना पत्रों पर उनके जिला के स्थानीय प्रशासन द्वारा ससमय कार्यवाही की जाये।
- उत्तर प्रदेश के समस्त केन्द्रीय कारागारों के अधीक्षकों के साथ सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा भौतिक रूप से भी जा कर के कारागार अधीक्षकों को व्यक्तिगत रूप से यह निर्देशित किया जायेगा कि वह समस्त आजीवन कारावास से दण्डित बंदियों को, जो किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत समय पूर्व रिहाई हेतु पात्र हैं, की रिहाई सुनिश्चित करें।

- माननीय कार्यपालक अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अपर मुख्य सचिव गृह अपर मुख्य सचिव कारागार महानिदेशक, कारागार प्रशासन जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं समस्त जेल अधीक्षकों के साथ जूम मीटिंग करके सिद्धदोष बंदियों की समय पूर्व रिहाई के प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

- 1 सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे पात्र बंदी, जिनका समय पूर्व रिहाई हेतु प्रार्थना पत्र किसी भी स्तर पर लम्बित हैं, का यथाशीघ्र तत्काल निस्तारण हो।
- 2 इसके पश्चात यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के बंदियों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित आजीवन कारावास से दण्डित सिद्ध दोष बंदियों की समय पूर्व रिहाई सुनिश्चित हो सके।
- 3 तत्पश्चात प्रत्येक केन्द्रीय कारागार एवं जिला कारागारों में अभियान चलाकर प्रत्येक आजीवन कारावास से दण्डित व्यक्ति का विवरण अंकित किया जायेगा तथा यह समीक्षा की जायेगी कि कौन सा बंदी की किस श्रेणी के अन्तर्गत, समय पूर्व रिहाई हेतु पात्र है।
- 4 जो भी बंदी, जिस किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत समय पूर्व रिहाई हेतु पात्रता की श्रेणी में आता है उसके प्रकरण में तत्काल कार्यवाही की जायेगी।
- 5 यदि प्रार्थी का प्रकरण वर्ष 2018 में निर्मित मानक नीति (यथासंशोधित 28.07.2021 तथा 27.05.2022) के अन्तर्गत है तो समय पूर्व रिहाई हेतु किसी प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं होगी और प्रार्थी के प्रकरण को जेल प्राधिकरणों द्वारा स्वयं संज्ञान में लेकर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
- 6 यदि प्रार्थी का प्रकरण प्रोबेशन नॉमिनल रोल अथवा दया याचिका के अन्तर्गत आता है तो उस स्थिति में प्रार्थी अथवा उसके परिवार से प्रार्थना पत्र लेकर तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
- 7 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जेल प्राधिकारी आपसी सहयोग एवं सामन्जस्य से जेल पी0एल0वी0, पैनल लायर्स एवं आवश्यकतानुरूप अन्य मानव संसाधन की सहायता से उपरोक्त

कार्य एक माह के अन्दर समाप्त कर लेंगे।

- 8 तत्पश्चात यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि समस्त आख्याओं सहित 15 दिन के अन्दर पात्र बंदियों का प्रकरण शासन को संदर्भित हो जाये।
- 9 शासन स्तर पर सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर मुख्य सचिव गृह एवं अपर मुख्य सचिव कारागर के साथ बैठक करके यह सुनिश्चित करेंगे कि सिद्धदोष बंदियों के समय पूर्व रिहाई के प्रकरण यथा संभव प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र किये जायें।
- 10 सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, महामहिम राज्यपाल के विधिक सलाहाकार से सामन्जस्य स्थापित करके यह सुनिश्चित करेंगे कि दया याचिका के मामलों में महामहिम के स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय हो सके।
- 11 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा समस्त आजीवन कारावास से दण्डित बंदियों का विवरण संलग्न प्रारूप पर अंकित किया जायेगा।

1. कारागारों में सिद्धदोष की समय पूर्व रिहाई हेतु चार प्रक्रियायें प्रचलन में हैं।

- प्रोबेशन पर सिद्धदोष बंदियों की समय पूर्व रिहाई की इस प्रक्रिया में सिद्धदोष बंदी द्वारा कारागार में कम से कम 14 साल के कारागार की अवधि व्यतीत किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में समय पूर्व रिहाई हेतु बंदी का प्रार्थना पत्र जेल प्राधिकारियों द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। इन प्रार्थना पत्रों पर पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या अंकित करके उन्हें जिलाधिकारी द्वारा कारागार मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है। कारागार मुख्यालय पर गठित समिति की संस्तुति के पश्चात प्रार्थना पत्र शासन को प्रेषित कर दिये जाते हैं, जिन पर शासन को बंदी की समयपूर्व रिहाई के लिये निर्णय लेने होता है।

2. सिद्धदोष बंदियों की नॉमिनल रोल पर समय पूर्व रिहाई:-

- सिद्धदोष बंदियों की समय पूर्व रिहाई की इस प्रक्रिया में सिद्धदोष बंदी द्वारा कारागार में कम से कम 14 साल के कारावास की अवधि व्यतीत किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में नॉमिनल रोल के तहत बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उसका प्रार्थना पत्र जेल प्राधिकारियों द्वारा जेल मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है जिस पर पुलिस अधीक्षक की आख्या एवं संबंधित न्यायालय का अभिमत व जिलाधिकारी की संस्तुति भी अंकित होती है। कारागार मुख्यालय द्वारा नॉमिनल रोल पर समयपूर्व रिहाई हेतु बंदी के प्रार्थना पत्र अपनी संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जाता है। बंदी की समय पूर्व रिहाई हेतु निर्णय शासन स्तर पर लिया जाता है।

### 3. मानक नीति 2018 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदियों की समय पूर्व रिहाई:-

- सिद्धदोष बंदियों की समय पूर्व रिहाई हेतु शासन द्वारा वर्ष 2018 में निर्मित मानक नीति जिसे कि वर्ष 2021 एवं 2022 में संशोधित किया गया है, के अंतर्गत सिद्धदोष बंदियों की समय पूर्व रिहाई हेतु किसी प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, किन्तु बंदी द्वारा कम से कम 16 वर्ष के कारावास की अवधि व्यतीत किया जाना आवश्यक होता है। इस नीति के अन्तर्गत जेल प्राधिकारियों द्वारा स्वयं अपनी तरफ से पात्र व्यक्तियों की सूची क्षेत्रीय उप महानिदेशक कारागार को प्रेषित की जाती है, जो अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण, शासन को प्रेषित करते हैं, जिस पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है।

### 4. दया याचिका के आधार पर बंदियों की समय पूर्व रिहाई:-

- दया याचिका का प्रार्थना पत्र महामहिम राज्यपाल को बंदी अथवा उसके परिजनों द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत दया याचिका पर बंदी की समय पूर्व रिहाई महामहिम राज्यपाल के विवेकाधिकार पर निर्भर है। इस हेतु अपना विवेकाधिकार प्रयोग करने के लिये महामहिम राज्यपाल द्वारा जेल, प्रशासन अथवा स्थानीय प्रशासन से बंदी के बावत आख्या प्राप्त की जाती है।
- कारागार के भीतर जितने भी सिद्धदोष बंदी हैं, उन सबकी सूची लेकर उनमें से जितने भी पात्र बंदी हैं, उनसे समय पूर्व प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायें। इस कार्य हेतु जेल पी0एल0वी0 जेल विजिटिंग अधिवक्ताओं एवं अन्य पैनल अधिवक्ताओं की सेवारतें प्राप्त की जायें।
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह पर्यवेक्षण करें कि कौन सा प्रार्थना पत्र किस स्तर पर लम्बित है तथा मॉनीटरिंग कमेटी की मीटिंग के माध्यम से वह जिलाधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिशा-निर्देशों से अवगत करायें तथा उनको यह निर्देशित करें कि वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में समय पूर्व रिहाई हेतु पात्र बंदियों के जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं उन्हें नियमानुसार सकारात्मक आख्या सहित शासन को प्रेषित करें।
- इस प्रकार प्राप्त प्रार्थना तथा उन प्रार्थना पत्रों के जिलाधिकारी कार्यालय में लम्बित होने की स्थिति में साप्ताहिक समीक्षा, प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक सप्ताह जिलाधिकारी द्वारा जो भी प्रार्थना पत्र शासन स्तर पर प्रेषित किये जा रहे हैं उन प्रार्थना पत्रों के विवरण से राज्य प्राधिकरण को अवगत कराया जाये।

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रार्थना पत्र शासन स्तर पर प्रेषित किये जा रहे हैं, उनका विवरण राज्य प्राधिकरण को अवश्य प्रेषित किया जाये।
- शासन स्तर पर सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अथवा मुख्य सचिव अथवा मुख्य सचिव से बैठक कर समय पूर्व रिहाई हेतु पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु पैरवी की जाये।
- सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सलाहकार, माननीय राज्यपाल से वार्ता करके बैठक आयोजित की जाये ताकि समय पूर्व रिहाई हेतु पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही की जा सके। बंदियों की समय पूर्व रिहाई हेतु अंतिम रूप से निर्णय माननीय राज्यपाल महोदय/महोदया द्वारा ही लिया जाता है।
- सिद्धदोष बंदियों की समय पूर्व रिहाई हेतु दिनांक 01.08.2018 को नीति निर्मित की गयी जिसमें 28 जुलाई 2021 तथा 27 मई 2022 को संशोधन किये गये। उक्त संशोधनों के पश्चात समस्त आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बंदी समय पूर्व रिहाई हेतु आवेदन कर सकते हैं तथा यदि वह उक्त नीति के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति हैं तो उन्हें समय पूर्व प्रदान करने हेतु निमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जेल प्राधिकारियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर लें कि सिद्धदोष बंदियों को समय पूर्व रिहाई हेतु निर्मित संशोधित नीति के अन्तर्गत कोई भी पात्र बंदी कारागार में निरूद्ध न रह जाये।
- वर्तमान नीति संख्या 52/2022/2022/1240/22-2-2022-07 जी/2018, दिनांकित 27.05.2022 के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी), महिला दिवस (8 मार्च), स्वास्थ्य दिवस(07 अप्रैल), मजदूर दिवस(01 मई), विश्व योग दिवस(21 जून), स्वतंत्रता दिवस(15 अगस्त), शिक्षक दिवस(05 सितम्बर), गाँधी जयन्ती (02 अक्टूबर), अन्तर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस(16 नवम्बर) एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस(10 दिसम्बर) के अवसरों पर उत्तर प्रदेश के माननीय न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास के सिद्धदोष बंदियों की रिहाई की जायेगी।

#### टाईम लाइन

- इस मानक संचालन प्रक्रिया निर्गत होने की तिथि से तीन दिन तक समस्त कारागारों के सिद्धदोष बंदियों की समय पूर्व रिहाई हेतु विरचित प्रावधानों के प्रति बंदियों को जागरूक किया जायेगा एवं प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

- उपरोक्त अवधि बीतने पर जेल प्राधिकारियों द्वारा आजीवन कारावास के सिद्धदोष बन्दियों के समय पूर्व रिहाई हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों की अगले दिन जाँच की जायेगी।
- दिनांक 27.09.2022 को समय पूर्व रिहाई हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के प्रस्ताव को जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ कारागार मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेगे।
- परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार 27.05.2022 को निर्गत मानक नीति संख्या 52/2022/1240/22/2/2022-07 जी/2018 दिनांकित 27.05.2022 के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों को दिनांक 27.09.2022 तक महानिरीक्षक कारागार को प्रेषित करेंगे तथा वह सुनिश्चित कर लेंगे कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटा न हो।
- क्योंकि इस नीति के तहत बंदी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- महानिरीक्षक कारागार उपरोक्त समस्त प्रार्थना पत्रों/समय पूर्व रिहाई प्रस्तावों को शासन को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की मंशा के अनुरूप शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।
- शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा समय पूर्व रिहाई हेतु पात्र व्यक्तियों की रिहाई का निर्णय लिया जायेगा।
- समस्त स्तर पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय दिनांकित 06.09.2022 का तथा शासन की नीतियों का अक्षरशः अनुपलान किया जाये।